

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष

कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीए) संख्या 43/सीएचडी/सीएचडी/2025

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;

और

कंपनी (समझौता, व्यवस्था, समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230-232 के मामले में

और

एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और जेसीबीएल मैरैल टिपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में।

एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1/ विलीन कंपनी) के असुरक्षित लेनदारों तथा जेसीबीएल मैरैल टिपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2/परिणामी कंपनी) के असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की सूचना और विज्ञापन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 17 अक्टूबर, 2025 के आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच (एनसीएलटी/न्यायाधिकरण) ने कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीए) संख्या 43/सीएचडी/सीएचडी/2025 (आदेश) में, एनसीएलटी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1/विलीन कंपनी) के असुरक्षित लेनदारों और जेसीबीएल मैरैल टिपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2/परिणामी कंपनी) के असुरक्षित लेनदारों के अलग-अलग बैठकें बुलाने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (अधिनियम) के अन्य लागू प्रावधानों की धारा 232 से 230 के तहत एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1/विलीन कंपनी) और जेसीबीएल मैरैल टिपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2/परिणामी कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों (योजना) के बीच व्यवस्था की योजना पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उसे अनुमोदित करना है।

आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक कंपनी 1/विलीन कंपनी के असुरक्षित लेनदारों तथा आवेदक कंपनी 2/परिणामी कंपनी के असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें, बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और लाइव ई-वोटिंग की सुविधा के साथ, नीचे उल्लिखित समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। ये बैठकें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में होंगी:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	बैठकों की श्रेणी	बैठकों की दिन और तिथि	बैठकों का समय
1.	एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड	असुरक्षित लेनदारों	शनिवार, 20 दिसंबर, 2025	प्रातः 11 बजे
2.	जेसीबीएल मैरैल टिपर्स प्राइवेट लिमिटेड	असुरक्षित लेनदारों	शनिवार, 20 दिसंबर, 2025	दोपहर 12 बजे

कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और उसके संशोधनों तथा सूचना में संलग्न अन्य अनुलग्नकों और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के साथ पठित धारा 230(3) के अंतर्गत व्यवस्था योजना, सूचना और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियाँ आवेदक कंपनी 1 और आवेदक कंपनी 2 की वेबसाइट क्रमशः <https://adslglobal.com> और <https://jcbl.com/jcbl-south> से प्राप्त और डाउनलोड की जा सकती हैं। इसके अलावा, उपरोक्त दस्तावेज companysecretary@jcbl.com पर ईमेल करके निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति समामेलन की योजना, नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो आवेदक कंपनी 1 को उसके पंजीकृत कार्यालय, प्लॉट संख्या 26, सेक्टर 34, गुडगांव, हरियाणा- 122 001, भारत में तथा आवेदक कंपनी 2 को उसके पंजीकृत कार्यालय, एफ-23, द्वितीय तल, ब्लॉक-एफ, मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़-160 101, भारत में, प्रस्तुत करना होगा, जिसे ऐसी मांग से 1 (एक) दिन के भीतर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिए श्री आलोक जग्गा, एडवोकेट, अध्यक्ष के रूप में और श्री जी एस सरीन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को संवीक्षक रूप में नियुक्त किया है। यदि यह योजना आवेदक कंपनियों के असुरक्षित लेनदारों द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो यह एनसीएलटी के अनुमोदन और नियामक प्राधिकरणों के अन्य अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी के अधीन होगी, जो भी आवश्यक हो।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार व्यक्ति संबंधित नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके, उपरोक्त बैठक के लिए रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से अपने-अपने वोट डाल सकते हैं।

आवेदक कंपनी 1 के असुरक्षित लेनदारों तथा आवेदक कंपनी 2 के असुरक्षित लेनदारों, जो कट ऑफ तिथि 31 मार्च, 2025 को है, को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और अपनी बैठकों में भाग लेने के हकदार होंगे। असुरक्षित लेनदारों की उपरोक्त बैठक(ओं) के लिए रिमोट ई-वोटिंग अवधि निम्नानुसार होगी:

असुरक्षित लेनदारों की बैठक	
रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तिथि और समय:	मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025, सुबह 10:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग समाप्ति तिथि और समय:	शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025, अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी)

आवेदक कंपनियों ने वीसी, रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है।

उपयुक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

असुरक्षित लेनदार जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला था, वे बैठक(ओं) के दौरान ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। हालाँकि, असुरक्षित लेनदार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी संबंधित बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक(ओं) में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

असुरक्षित लेनदारों के मतदान अधिकार 31 मार्च, 2025 तक आवेदक कंपनियों द्वारा संबंधित लेनदार(यों) को देय बकाया राशि के अनुपात में होंगे।

यदि आवेदक कंपनी के असुरक्षित लेनदार एक कॉरपोरेट/कॉरपोरेट निकाय हैं, तो अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, वे अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक(बैठकों) में भाग लेने के हकदार हैं। ऐसे कॉरपोरेट लेनदारों को companysecretary@jcbl.com पर ईमेल के माध्यम से और बैठक(बैठकों) के लिए नियुक्त संवीक्षक को cs.gssarin@gmail.com पर भेजना होगा या आवेदक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा, जिसमें ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति और अधिकृत प्रतिनिधि का पहचान पत्र, उपरोक्त बैठकों के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, उसकी ओर से बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

किसी भी असुरक्षित लेनदार को, जो इस योजना, या उपरोक्त बैठक(ओं) में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहता है, अनुरोध है कि वे बैठक(ओं) की तिथि से कम से कम सात दिन पहले संबंधित आवेदक कंपनी को companysecretary@jcbl.com पर ईमेल के माध्यम से लिखें।

असुरक्षित लेनदार, ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत, यदि कोई हो, के समाधान के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर ध्यान दें: ईमेल- helpdesk.evoting@cdslindia.com या टोल-फ्री नंबर 1800-21-09911 पर कॉल करें।

दिनांक : 18.11.2025

कृते एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड

और कृते जेसीबीएल मैरैल टिपर्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/-

हस्ता/-

श्री हरजीत सिंह

श्री संजीव बक्बर

प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्राधिकृत प्रतिनिधि